846

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

1–तिलक नगर, शिव मन्दिर चौक, मेन रोड,
अवन्ति विहार, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 5783/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2011 रायपुर, दिनांक 24/12/2011

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

2. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, आर.डी.ए. बिल्डिंग,
रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 1533(अ) दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के पालन बाबत्।

जैसा की आपको विदित है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना एसओ 1533(अ) दिनांक 14/09/2006 जारी किया गया है, जिसके अनुसार अधिसूचना की अनुसूची में उल्लेखित परियोजनाओं / कार्यकलापों हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली / भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित स्टेट लेवल इन्व्हारोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अॅथारिटी से परियोजनाओं / कार्यकलापों का निर्माण आरंभ करने के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिसूचना में निम्नलिखित गतिविधियों हेतु भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है :–

1. **बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट** :– जिनका बिल्टअप एरिया (निर्मित क्षेत्र) 20,000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक एवं 1,50,000 वर्ग मीटर से कम है।
2. **टाउनशिप एंड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट** :– जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक हो एवं/अथवा बिल्टअप एरिया (निर्मित क्षेत्र) 1,50,000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक हो।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये निर्मित क्षेत्र को "बेसमेंट (बिसमेंटो) सहित, समस्त मंजिलें एक साथ रखे जाने पर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र और अन्य सेवा क्षेत्र जो निर्माण / संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित किए गए हैं" के रूप में परिभाषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को इस बाबत् निर्देशित करने का कष्ट करें कि संबंधित अॅथारिटी अर्थात भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित स्टेट लेवल इन्व्यारोमेंट इंम्पेक्ट असेसमेंट अॅथारिटी, छत्तीसगढ़ से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपरोक्त श्रेणी की परियोजनाओ द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ न किया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित न हो। कृपया इसे आवश्यक समझा जावे।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 1533(अ) दिनांक 14/09/2006 एवं संशोधित अधिसूचनाएँ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाईट "**www.moef.nic.in**" में उपलब्ध हैं, इन्हे डाउनलोड किया जा सकता है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)